बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र स0– वि.प्रा. (III) य[1] – 8/ 2015– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 16 Mbps Leased Line उपलब्ध कराने हेतु रू. 5,00,000=00 (पांच लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–310, दिनांक 07.06.2016 के द्वारा की गई मांग के आधार पर संस्थान में भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 16 Mbps Leased Line उपलब्ध कराने हेतु रू. 5,00,000=00 (पांच लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– पी 4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रेलटेल कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. कोलकता में भुगतेय उक्त बैंक ड्राफ्ट "रेलटेल कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" के पक्ष में होगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 2(C)(1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख कोषागार, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] – 8 / 2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:– योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] – 8 / 2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] – 8 / 2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक–310, दिनांक 07.06.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] – 8 / 2015– 2348 /पटना, दिनांक– 8/9/016

प्रतिलिपि:– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/09/16
सरकार के उप सचिव
8/09/16